



172

A 137-I-17

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. .... / ..... / .....

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्रीमती तारादेवी गोंड पति श्री भदई सिंह गोड़ निवासी 2264 पचमठा मंदिर रोड, दुर्गा मंदिर के पास, छुई खदान रानी दुर्गावती वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर।

विरुद्ध -


अनावेदक - (1) म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर  
(2) श्री संदीप सिंह लोधी, पिता श्री लॉग सिंह लोधी, निवासी 44 ग्राम जोतपुर, भेड़ाघाट मार्बल ग्राम पंचायत घुन्सौर जिला जबलपुर

अपील/पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

- मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 134/अ-21/2015-16 में पारित अंतिम आदेश दि. 02/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत यह अपील/निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही है।
- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्रीमती तारादेवी गोंड पति श्री भदई सिंह गोड़ निवासी 2264 पचमठा मंदिर रोड, दुर्गा मंदिर के पास, छुई खदान रानी दुर्गावती वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम चरगवां प.ह.नं. 37 रा.नि.मं बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 98 रकवा 1.000 हे. भूमि अनावेदक/गैर आदिवासी श्री संदीप सिंह लोधी, पिता श्री लॉग सिंह लोधी, निवासी 44 ग्राम जोतपुर, भेड़ाघाट मार्बल ग्राम पंचायत घुन्सौर जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत न्यायालय कलेक्टर जबलपुर में दिनांक 15/07/2016 को प्रस्तुत किया गया था।
- उक्त आवेदन पत्र का सहपत्रों सहित अवलोकन किये जाने के पश्चात् प्रकरण दर्ज किया जाकर ग्राह्यता पर तर्क हेतु दिनांक 02/01/2017 सुनवाई हेतु नियत किया गया। आदेशिका दिनांक 16.08.2016 के अनुसार आवेदिका का आवेदन पत्र सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर अभिमत सहित प्रतिवेदन पेश करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जबलपुर को भेजा गया और सुनवाई तारीख 03.10.2016 नियत की गई। दिनांक 03.10.2016 को अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण 02.01.2017 को नियत किया गया।

///

नारा देवी



8 JAN 2017

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 137/एक/2017


जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-1-17	<p>यह अपील आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 134/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि ग्राम चरगंवा प.ह.न. रा.नि.म. वर्गी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 98 रकबा 1.000 है0 भूमि अनावेदक क्रमांक 2 संदीप सिंह लोधी पुत्र लोंग सिंह लोधी निवासी 44 ग्राम जोतपुर बेडागाट मार्वल ग्राम पंचायत घुन्सोर जिला जबलपुर को भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर जबलपुर द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 03.10.2016 नियत की गयी थी। किन्तु प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण प्रकरण दिनांक 02.01.2017 को नियत कर दिया गया। और उक्त दिनांक को प्रकरण अद्म पैरवी में निरस्त कर दिया गया। जिससे विक्रय अनुमति के संबंध में</p>	

कोई आदेश पारित नहीं किया गया। और विक्रय अनुमति आवेदन पत्र सारता निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास 5.16 है० भूमि शेष बचेगी। जिससे वह उपरोक्त भूमि की विधिवत् देखभाल कर कृषि कार्य करेगा आवेदक अपने आवेदन पत्र में दर्शायी गयी भूमि को इसलिये भी विक्रय करना चाहता है क्योंकि उपरोक्त भूमि विक्रय किया जाना इसलिये आवश्यक है कि ग्राम में बची शेष भूमि को उन्नत बनाने एवं पारिवारिक आवश्यकताओ हेतु रूपयो की आवश्यकता है और इसके सिवाय अपनी भूमि मौजा चरगंवा की भूमि को बेचने के अलावा अपनी उक्त जरूरतों को पूरा करने का कोई साधन नहीं है। तथा उक्त भूमि से कोई लाभ व फायदा नहीं है। लागत के अनुपात में उपज नहीं हो पाती है, इसलिये उक्त जमीन को बेच देना उसके हित में है। इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। किन्तु कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार नहीं किया है, प्रकरण में





स्थिति यह है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र कि विधिवत् जाँच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर द्वारा की जाकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रकरण प्रतिवेदन हेतु नियत था। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त नहीं किया जाना चाहिये था। उपरोक्त स्थिति में आवेदक का भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार होने से रह गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये एवं आवेदक को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति न्यायहित में दी जाये। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी।

5- उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 02.01.2017 यह अपील प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया तथा प्रकरणा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु नियत किया गया था तब ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त नहीं किया जाना चाहिये था क्योंकि ऐसी स्थिति में आवेदक का भूमि विक्रय अनुमति का आवेदन पत्र विचार होने से रह गया है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 02.01.2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी

शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति एवं ग्राम चरगंवा की भूमि कोई लाभ व फायदा नहीं होने से लागत के अनुपात में उपज नहीं हो पाने से आवेदक द्वारा उक्त भूमि को बेच देना उसके हित में होने से भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- आवेदक द्वारा विक्रय अनुमति के आवेदन पत्र के साथ इकरार नामा की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें बताया गया है कि वह उपरोक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् उसके पास कुल रकवा 5.16 है० भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- आवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।


4- आवेदक अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर

प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

7- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गार्ड लाईन से अनावेदक क्रमांक 3 संदीप सिंह लोधी पुत्र लोंग सिंह लोधी निवासी 44 ग्राम जोतपुर बेडागाट मार्वल ग्राम पंचायत घुन्सोर जिला जबलपुर के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गार्ड लाईन के मान से अधिक विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक

134/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम चरगंवा प.ह.न. रा.नि.म. वर्गी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 98 रकबा 1.000 है० भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

  
सदस्य

R  
12